संख्या:704/2023/1885/35-4-2023/001-35-4099/48/2023

प्रेषक,

राम प्रीत राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोण्डा।

नियोजन अनुभाग-4 दिनांक: 11 जुलाई, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तवरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद गोण्डा में शासनादेश संख्या-196/2021/1738/35-4-2021, दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 द्वारा तरबगंज अमदही बंधा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्य की रू0 3856.72 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू० 100.00 लाख की धनराशि, शासनादेश संख्या-5/2022/11/35-4-2022 दिनांक 03 जनवरी, 2022 द्वारा द्वितीय किश्त में रूपये 1828.36 लाख की धनराशि, शासनादेश संख्या- 111/2022/290/35-4-2022 दिनांक 29 मार्च, 2022 के द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रूपये 964.18 लाख तथा शासनादेश संख्या-290/2022/986/35-4-2022/001-35-4099/48/2021 दिनांक 29 अगस्त, 2022 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रू0 771.34 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। इस प्रकार कुल रूपये 3663.88 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा अपने पत्र सं0-182/अर्थ एवं संख्या/त्व0आ0वि0/2021-22 दिनांक 12 जून, 2023 द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किश्त की कुल अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 3663.88 लाख के उपभोग के उपरान्त कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि रू0 192.84 लाख की धनराशि को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः वित्त विभाग की व्यवस्थानुसार एतद्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू0 192.84 लाख (रूपये एक करोड़ बानवे लाख चौरासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित सारिणी के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व मे अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
तरबगंज अमदही बंधा मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	3856.72	3663.88	192.84

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 25 अक्टूबर, 2021, दिनांक 03 जनवरी, 2022 दिनांक 29 मार्च, 2022 एवं दिनांक 29 अगस्त, 2022 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय 1,92,84,000/- (रूपये एक करोड़ बानवे लाख चौरासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

संख्या:704/2023/1885/35-4-2023/001-35-4099/48/2023तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,गोण्डा।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोण्डा।
13- अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, गोण्डा।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।